अनुदान संख्या 18 – रक्षा मंत्रालय (सिविल)
GRANT No. 18 – MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	***Revenue:***				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*70,00*			
			2,22,00	*2,25,17*	*+3,17*
पूरक	*Supplementary*	*1,52,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	30088,23,00			
			30557,20,00	30091,34,43	-465,85,57
पूरक	Supplementary	468,97,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*50,00,00*	*8,17,20*	*-41,82,80*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*40,00,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	7698,41,00			
			10473,04,00	10380,72,87	-92,31,13
पूरक	Supplementary	2774,63,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,15,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में यद्यपि ₹*152.00 लाख* का पूरक *विनियोग* जुलाई, 2021 में प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से ₹*3.17 लाख* तक अधिक हुआ (वास्तविक अधिक व्यय ₹*3,16,544* था)। **अधिक व्यय को संसद द्वारा अधिक अनुदान मांगों पर वोटिंग द्वारा नियमित किया जाना अपेक्षित है।**

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, although supplementary *appropriation* of ₹*152.00 lakhs* was obtained in July, 2021, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by ₹*3.17 lakhs* (actual excess was ₹*3,16,544*). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

2. अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुए/हुईं:–

Excess /savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय – सामान्य सेवायें	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	*O.*	*32.00*			
			29.00	*74.59*	*+45.59*
पु.	*R.*	*-3.00*			

(I) "अन्य कार्यालय – रक्षा लेखा विभाग" के अंतर्गत – ₹*49.59 लाख* का अधिक व्यय (₹*25.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) अपेक्षाकृत अधिक संख्या में कोर्ट ममलों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुआ।

(I) Under "Other Offices-Defence Accounts Department" – excess of ₹*49.59 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*25.00 lakhs*) was due to finalisation of more number of court cases.

(II) उपर्युक्त अधिक व्यय ₹*45.00 लाख* की बचत द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया जो चार शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(II) The above excess was offset by savings of ₹*45.00 lakhs,* which remained wholly unutilised under four heads.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में समग्र बचतें (₹46585.57 लाख) मार्च, 2022 में प्राप्त ₹46897.00 लाख के पूरक अनुदान का 99 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत था।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹46585.57 lakhs) constituted 99 percent of the supplementary grants of ₹46897.00 lakhs obtained in March, 2022 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	4494.00			
			3822.00	3664.50	-157.50
पु.	R.	-672.00			
मुख्य शीर्ष "2037" सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs				
मू.	O.	259472.00			
पू.	S.	20253.00	291913.00	292185.13	+272.13
पु.	R.	12188.00			
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवलय – सामान्य सेवायें	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	519082.00			
पू.	S.	11951.00	571822.00	557552.33	-14269.67
पु.	R.	40789.00			
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	145075.00			
पू.	S.	14692.00	156067.00	152949.65	-3117.35
पु.	R.	-3700.00			
मुख्य शीर्ष "2075" विविध सामान्य सेवायें	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	1980000.00			
			1937848.00	1909498.68	-28349.32
पु.	R.	-42152.00			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़कें और पुल	Major Head "3054" Roads and Bridges				
मू.	O.	90500.00			
पू.	S.	1.00	83622.00	82809.30	-812.70
पु.	R.	-6879.00			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹11000.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, इस में से ₹10500.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3054" – "सामरिक और सीमा सड़क – आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण –सीमा सड़कों के अंतर्गत निर्माण कार्य" के अंतर्गत – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के कारण था।

(I) Provision of ₹11000.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹10500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3054" – "Strategic and Border Roads – Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts – Works under Border Roads" – due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" –अन्य कार्यालय" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समक्ष दर्शाये अनुसार पूरी तरह अप्रयुक्त रहाः–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2052" – "Other Offices"– remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(का) "रक्षा लेखा विभाग" – ₹187063.00 लाख का मूल प्रावधान ₹507.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹187570.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹4321.67 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन और भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और आईटी संबंधी खरीद को कम अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Defence Accounts Department" – the original provision of ₹187063.00 lakhs was augmented to ₹187570.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹507.00 lakhs. However, there was a saving of ₹4321.67 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards pay and allowances and less finalization of IT related procurement.

(खा) "रक्षा संपदा संगठन (डीईओ)" – ₹34855.00 लाख का मूल प्रावधान ₹1693.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹36548.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹1926.12 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम दौरे करने, प्रशिक्षण कार्यक्र्मों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति और कार्यालय संबंधी अन्य व्ययों पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(B) "Defence Estate Organisation (DEO)" – the original provision of ₹34855.00 lakhs was augmented to ₹36548.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1693.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1926.12 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-finalisation of training programmes and requirement of less funds towards medical re-imbursements and other office related expenses.

(III) मुख्य शीर्ष "2055" – "जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के संबंध में अदा किया गया विशेष पुलिस प्रभार" के संबंध में – ₹145075.00 लाख का मूल प्रावधान ₹14692.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹159767.00 लाख तक बढ़ाया गया जो, तथापि सेना ट्रूपों को वेतन और भत्तों पर कम निधियों की आवश्यकता, भंडार और आपूर्ति की सप्लाई में कमी, कोविड–19 के कारण सेना की कम आवाजाही से कम परिवहन व्यय के कारण ₹6817.35 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2055" – "Special Police-Charges paid in respect of J&K Light Infantry (JAKLI)" – the original provision of ₹145075.00 lakhs was augmented to ₹159767.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹14692.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹6817.35 lakhs – due to requirement of less funds towards pay and allowances of troops, reduction in supply of Stores and Supplies, reduced transportation expenditure owing to less movement of troops due to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "2014" – "अन्य व्यय – सशस्त्र सेना अधिकरण" के अंतर्गत – ₹829.50 लाख की बचत (₹4494.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम दौरे करने, मरम्मत कार्य को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2014" – "Other Expenditure – Armed Forces Tribunal" - saving of ₹829.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4494.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-finalisation of repair works and requirement of less funds towards other establishment related expenses owing to COVID -19 pandemic.

(V) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(V) Under Major Head "2052" - "Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(का) "रक्षा विभाग (डीओडी)" – ₹4723.92 लाख की बचत (₹21173.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदोन्नतियों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम दौरे करने, नैमेत्तिक मजदूरों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान द्वारा अनुसंधान स्टाफ़ की भरती नहीं किए जाने के कारण हुई।

(A) "Department of Defence (DoD)"– saving of ₹4723.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21173.00 lakhs) was due to non-finalization of promotions, non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, requirement of less funds towards casual labours, non finalization of works proposal by Central Public Works Department and non-recruitment of research staff by Institute of Defence Studies and Analysis.

(खा) "रक्षा उत्पादन विभाग (डीपी)" – ₹1698.34 लाख की बचत (₹7914.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदोन्नतियों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, रिक्त पदों को नहीं भरने, कम दौरे करने और आईटी खरीद के प्रस्ताव में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Department of Defence Production (DP)" – saving of ₹1698.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7914.00 lakhs) was due to non-finalization of promotions, non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and delayed proposal of IT procurement.

(VI) मुख्य शीर्ष "2075" – "कैंटीन भंडार विभाग – कैंटीन सेवायें निदेशालय" के अंतर्गत – ₹70501.32 लाख की बचत (₹1980000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों, प्रति फ़र्म मांग (ए एफ़ डी) मदों की अदायगी की प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता, लघु कार्यों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2075" – "Canteen Stores Department - Directorate of Canteen Services"- saving of ₹70501.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1980000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances, refund of payment for Against Firm Demand (AFD) items, non-finalisation of minor works and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VII) मुख्य शीर्ष "3054" – सामरिक और सीमा सड़कें – अन्य व्यय – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत – ₹6696.80 लाख की बचत (₹14500 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण भूटान में निर्माण कार्य रुक जाने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹49110.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹11952.00 लाख की पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – सीमा सड़क संगठन" – ₹38833.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹39234.37 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामरिक और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य" –

(क) "सीमा सडक संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव" – ₹2501.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹2307.44 लाख था।

(ख) "राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़कों का रख. रखाव" – ₹7776.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹7219.59 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2037" – "निवारक और अन्य कार्य –तट रक्षक संगठन" – कर्मचारियों के वेतन और भत्तों और अन्य व्यक्तिगत दावों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, पेट्रोलियम के दाम में वृद्धि, भर्ती के लिए विज्ञापनों और प्रचार सामग्रियों, साफ़्टवेयर सर्वर और लैपटापों की खरीद और विदेशी खरीद के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता से ₹12460.13 लाख के अधिक व्यय (₹20253.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹279725.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

(VII) Under Major Head "3054" – "Strategic and Border Roads - Other Expenditure – Road Works" – saving of ₹6696.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs) was due to suspension of work in Bhutan owing to COVID-19 pandemic.

3.(I) The above savings were partly (₹49110.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹11952.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Border Roads Organisation" – ₹38833.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹39234.37 lakhs.

(B) Major Head "3054" – "Strategic and Border Roads – Road Works" –

(a) "Maintenance of NHs by Border Roads Organisation" – ₹2501.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2307.44 lakhs.

(b) "Road Maintenance other than NHs" – ₹7776.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7219.59 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2037" – "Preventive and other functions – Coast Guard Organisation" – excess of ₹12460.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹279725.00 lakhs including supplementary grant of ₹20253.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances and other personal claims of employees, tours undertaken, increase in petroleum prices, advertising and publicity materials towards recruitment, procurement of Software Server and Laptops and variation in foreign exchange component against foreign procurement.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में बचतें निम्नल्खित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5054" सडकों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	*O.*	*5000.00*	*1000.00*	*817.20*	*-182.80*
पु.	*R.*	*-4000.00*			

(I) "सामरिक और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य" के अंतर्गत – *₹4182.80 लाख* की बचत (*₹5000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कोर्ट केसों की कम संख्या के कारण हुई।

(I) Under "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under Border Roads Organisation" – saving of *₹4182.80 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹5000.00 lakhs*) was due to less number of court cases.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

5. In the voted portion of capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	265000.00	327541.00	318918.84	-8622.16
पू.	S.	58646.00			
पु.	R.	3895.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1380.00			
पू.	S.	12706.00	8937.00	7409.87	-1527.13
पु.	R.	-5149.00			
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	25000.00			
पू.	S.	10000.00	..	..	..
पु.	R.	-35000.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सडकों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	477500.00			
पू.	S.	192000.00	704500.00	706261.33	+1761.33
पु.	R.	35000.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4552" – "सड़क निर्माण कार्य – सडक सीमा संगठन के अंतर्गत सड़क विकास कार्य" के अंतर्गत ₹35000.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2021 में प्राप्त ₹10000.00 लाख पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹35000.00 lakhs (including supplementary grant of ₹10000.00 lakhs obtained in December, 2021) remained wholly unutilized under Major Head "4552" – "Road Works - Road Development Works under Border Roads Organisation" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के समक्ष दर्शायी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "4047" – "सीमा शुल्क – तट रक्षक संग. ठन" – ₹265000.00 लाख का मूल प्रावधान मार्च, 2022 में ₹58646.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹323646.00 लाख तक बढ़ाया जो, तथापि, मुख्य परियोजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹4727.16 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "4047" – "Customs – Coast Guard Organisation" – the original provision of ₹265000.00 lakhs was augmented to ₹323646.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹58646.00 lakhs in March, 2022 which, however, remained unutilised to the extent of ₹4727.16 lakhs – due to non-finalisation of major projects.

(खा) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भ्वन – निर्माण कार्य"–

(B) Major Head "4059" – "Other Buildings – Construction" –

(क) "रक्षा लेखा विभाग" – ₹394.00 लाख का मूल प्रस्ताव मार्च, 2022 में ₹706.00 लाख की पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1100.00 लाख तक बढाया जो, तथापि, संविदात्मक संदाय को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹280.24 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Defence Accounts Department"– the original provision of ₹394.00 lakhs was augmented to ₹1100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹706.00 lakhs in March, 2022 which, however, remained untilised to the extent of ₹280.24 lakhs – due to non-finalisation of Contractual Payment.

(ख) "रक्षा संपदा संगठन" – ₹936.00 लाख का मूल प्रावधान मार्च, 2022 में ₹12000.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके व ₹12936.00 लाख तक बढाया जो, तथापि, कार्यालय भवन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिलने और कोविड–19 महामारी के कारण रक्षा मंत्रालय की भूमि के अलग थलग पाकेटों की सीमा/पिलरों के निर्माण के प्रस्तावित कार्य को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹6352.96 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Defence Estate Organisation" – the original provision of ₹936.00 lakhs was augmented to ₹12936.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12000.00 lakhs in March, 2022 which, however, remained untilised to the extent of ₹6352.96 lakhs – due to non-receipt of sanction of office building proposals and non-finalisation of proposed work of boundary/pillars of isolated pockets of Defence land owing to COVID-19 pandemic.

6.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹35000.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5054" – "सामरिक और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य" के अंतर्गत मार्च, 2022 में ₹102000.00 लाख की पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹36761.33 लाख था।

6.(I) The above savings were partly (₹35000.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹102000.00 lakhs in March, 2022 under Major Head "5054" – "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under Border Roads Organisation". Actual excess, however, was ₹36761.33 lakhs.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत अधिक व्यय ₹439.70 लाख हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹439.70 lakhs occurred constituting 28 percent of the sanctioned provision.